भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्नल संख्यां**14***

जिसका उत्तार शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-पीआरएएनएएम (प्रणाम)

14*. श्री रविन्द्र कुशवाहा:

श्री संजय भाटिया:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम-पीआरएएनएएम (प्रणाम) की शुरूआत की है और यदि हां, तो तत्संपबंधी ब्यौएरा क्याब है;

(ख) क्या(उक्तस योजना से देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने में सहायता मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौवरा क्याम है

(ग) क्या देशभर के राज्योंम/संघ राज्यकक्षेत्रों को उक्तह योजना के भाग के रूप में शामिल किया गया है ताकि इसे बढ़ावा दिया जा सके और यदि हां तो तत्संसबंधी ब्यौषरा क्यात है; और

(घ) देश में राज्यव/संघ राज्यंक्षेत्र-वार/जिला-वार विशेषकर कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कितने किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं?

उत्त र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री

(डा. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

''पीएम-प्रणाम'' के संबंध में श्री रवीन्द्र कुशवाहा और श्री संजय भाटिया द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 14* से संबंधित विवरण

****

(क) और (ख): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को ''धरती माता की उर्वरता की बहाली , जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) '' को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को सहयोग देना है।

(ग) और (घ): सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-प्रणाम के तहत शामिल हैं। उक्तम स्कीनम के तहत किसी राज्य /संघ राज्यरक्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया , डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके किसी विशेष वित्तीवय वर्ष में राज्या/संघ राज्येक्षेत्र द्वारा बचाई गई उर्वरक राजसहायता का 50 % उस राज्यत/संघ राज्याक्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस अनुदान का उपयोग किसानों सहित राज्य के लोगों के लाभ के लिए कर सकते हैं।

इस स्कीम को वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू किया गया है और राज्यों द्वारा यदि कोई बचत की गई हो, तो उसकी गणना की जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद उसे राज्यों को दिया जाएगा।

******